

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०६/२०१६-१७

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो

बनाम

मेसर्स बीरा इन्फोटेक, प्रो० सुनील कुमार शर्मा

—: आदेश :-

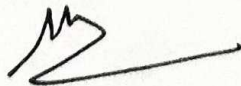
20.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स बीरा इन्फोटेक, प्रो० श्री सुनील कुमार शर्मा पिता यदुनन्दन शर्मा, पता-HE-9, सेक्टर-4, बी०एस०सिटी, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा करहरिया थाना सं०-28, खाता सं०-76 प्लॉट सं०-1815 रकबा-24.00 डी०, Vide deed no. 508 dt. 06.02.2014) को गिरवी रखते हुए 10,35,000.00 (दस लाख पैंतिस हजार) रुपये मात्र का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.09.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि ऋणकर्ता की पत्नी को कैंसर हो गया है जो इस ऋण की राशि के लिए गारंटर भी है। वर्तमान में उनका ईलाज कोलकाता में चल रहा है। ईलाज के खर्च के कारण ऋणकर्ता की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। उनके अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि इसी वाद से संबंधित एक अन्य वाद माननीय



- 6 -

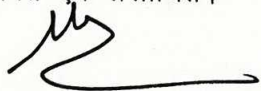
न्यायालय डी0आर0टी0, राँची में लंबित है। विपक्षी ऋण की राशि को आसान किस्तों में भुगतान करने लिए तैयार हैं जो माननीय न्यायालय डी0आर0टी0, राँची द्वारा तय किया जाएगा। अंत में उनके द्वारा SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) के तहत कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जहाँ तक माननीय न्यायालय, डी0आर0टी0, राँची में वाद के लंबित रहने की बात है, वह इस न्यायालय के SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) से कोई संबंध नहीं रखता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


28.08.18
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।